


38



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण R 3888 III | 13

हरिशंकर दुबे पुत्र रामलखन दुबे
तारकेश्वरी कॉलोनी पुरानी शिवपुरी
जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश

विरुद्ध

1. ऋषभ दुबे पुत्र प्रेमशंकर दुबे
नाबालिक सरपरस्त मां रजनी दुबे पत्नी प्रेमशंकर दुबे
2. रामलखन दुबे पुत्र स्व.बलवंत सिंह दुबे
3. प्रेमशंकर दुबे पुत्र रामलखन दुबे
4. रजनी दुबे पुत्र पत्नी प्रेमशंकर दुबे
निवासी लुधावली आई.टी.बी.पी. गेट के सामने शिवपुरी
5. पदमावती पत्नी रामलखन दुबे
तारकेश्वर कॉलोनी शिवपुरी

दिनांक 28-10-13 को
शिवपुरी के न्यायालय
कोर्ट फीस प्रस्तुत

28-10-13
ASD

20-10-2013 को
पारित आदेश दिनांक 30-09-2013 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

3

यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग/3888/तीन/13

जिला-शिवपुरी

हरिशंकर दुबे विरुध ऋषभ दुबे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार वृत्त-2 जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 66/2012-13/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरीके न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 15/5/19</p>